न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 204 /2022 तारीख रजू :– 12.7.22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/431

उनवान

रत्तीराम पुत्र बत्तु जाति माली निवासी जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

––वादीगण–03

बनाम

जयसिंह जोगी पुत्र चौथी जाति जोगी निवासी जाहनाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

––प्रतिवादीगण–32

दिनांक	फर्द अहकाम	
12.7.22	यह दावा वादी की ओर से श्री सुगर सिंह एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.08.2022 को पेश हो। (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
20/7/22	पत्रावली प्राप्त मिसल तलबी की प्रावधान पर आज पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित। वादी व वादी वकील ने अवगत कराया कि वादीगण प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। वादीगण प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। वादीगण प्रकरण नोटिस से खारिज कराना चाहते है। अतः मु.नं. 200/22 प्रकरण रत्तीराम बनाम जयसिंह नोटिस से खारिज किया जाता है। पत्रावली सिमरल शुगर फैक्टर नम्बर तीसरी	Notified Advocate Premchand सुगर सिंह अड जयसिंह

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)